श्री बालामुरूगन डी०,भा.प्र.से., जिलाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा दिनांक 31-01-2012 को अंचल कार्यालय, मखदुमपुर का किये गये निरीक्षण का निरीक्षण टिप्पणी :-

1. **प्रस्तावना** :- अंचल कार्यालय, मखदुमपुर की स्थापना दिनांक 12.02.1954 को हुई है। दिनांक 05.06.1968 को प्रखण्ड कार्यालय से अलग होकर अंचल कार्यालय के स्वतंत्र रुप में कार्यरत हुआ। यह अंचल जिला मुख्यालय से 30 कि0मी0 की दूरी पर पटना-गया मुख्य मार्ग के किनारे संचालित है।

2. सामान्य सूचना :-

- अंचल की चौहदी : उत्तर-जहानाबाद एवं काको अंचल, दक्षिण-बेलागंज (गया) अंचल पूर्व-घोषी अंचल, पश्चिम-कुर्था
- गाँव की संख्या : 133
- चिरागी : 127
- बेचिरागी : 06
- अंचल का क्षेत्रफल : 94-11 वर्गमील, 60557.07 एकड़
- वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार जनसंख्या : 184764 ग्रामीण क्षेत्र / 30109 नगर पंचायत
- रैयतों की संख्या : 27799
- भूमिहीनों की संख्या : 8522
- कृषि योग्य भूमि : 46207.69 एकड़
- गैर कृषि योग्य भूमि : 14349.38
- गैर मजरूआ भूमि :

क्र०	विषय	वितरित भूमि	अयोग्य
1	आम	22.06 एकड़	6576.89 एकड़
2	मालिक	1133.74	1626.25

- मकानों की संख्या : 184345
- परिवारों की संख्या : 20165
- कुल खेसरा की संख्या : 176452
- अनुसूचित जाति की संख्या

क्र०	पुरूष	महिला	कुल
1	14542	14082	28624

इस अंचल अंतर्गत बाणावार पहाड़ ऐतिहासिक स्थान है। पहाड़ी की चोटी पर बाबा सिद्धनाथ महादेव की पौराणिक मंदिर अवस्थित है। सम्पूर्ण श्रावण मास में यहाँ पर मेला लगा रहता है एवं श्रद्धालुओं का ताता लगा रहता है। मेला का बंदोबस्ती जिला स्तर से होता है एवं नियंत्रण रहता है।

भवन :- अंचल कार्यालय प्रखण्ड भवन के उतरी भाग के एक कमरा में संचालित होता है। अत्यंत जर्जर स्थिति का जीर्णोद्धार प्रखण्ड से करायी गयी है। पूर्व में वर्षों से पानी चूने से [illegible] रख-रखाव एवं कार्य सम्पादन काफी बाधित रहा है। पानी के रिसाव से पूर्व के काफी कागजात नष्ट चुके हैं।

4. **अंचल अधिकारी का पदस्थापन की स्थिति :-**

क्र०	पदाधिकारी का नाम	पदस्थापन अवधि
1	श्री शिवदानी सिंह	20.11.1986 से 24.04.1990
2	श्री जनक कान्त शरण	25.04.1990 से 24.07.1990
3	श्री राजकुमार चौधरी	25.09.1990 से 15.04.1993
4	श्री पारसनाथ सिंह	16.04.1993 से 04.09.1995
5	श्री एम0एस0कैसर सुल्तान	05.09.1995 से 16.09.1998
6	श्री रतन कुमार गुप्ता	17.09.1998 से 25.11.1998
7	श्री राज कुमार मंडल	26.11.1998 से 02.12.1999
8	श्री मृत्युंजय कुमार	03.12.1999 से 21.07.2001
9	श्री अशोक कुमार झा	22.07.2001 से 24.06.2002
10	श्री जगदीश प्रसाद	25.06.2002 से 09.08.2002
11	श्री अरविंद कुमार	10.08.2002 से 22.10.2002
12	श्री अशोक कुमार झा	23.03.2002 से 24.03.2004
13	श्री देवेन्द्र रजक	25.03.2004 से 09.09.2004
14	श्री रामेश्वर भगत	10.09.2004 से 15.06.2005
15	श्री परमानन्द कुमार	16.06.2005 से 20.09.2006
16	श्री राजीव रंजन	20.09.2006 से 07.05.2007
17	श्री उज्जवल कुमार सिंह	08.05.2007 से 30.03.2009
18	श्री जितेन्द्र प्रसाद साह	31.03.2009 से 03.04.2010 तक
19	श्री द्वारिका चौधरी	04.04.2010 से 26.12.2010 तक
20	श्री अखिलेश कुमार	27.12.2010 से 15.04.2011 तक
21	श्री द्वारिका चौधरी	16.04.2011 से 30.09.2011 तक
22	श्रीधर पाण्डेय	01.10.2011 से 20.12.2011 तक
23	मो0 सफीक	20.12.2011 से अब तक

5. **स्थापना :-** अंचल कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र0	पद का नाम	स्वीकृत पद	पदस्थापित	रिक्त
1	वरीय प्र0के0लिपिक	01	01	0
2	क0प्र0को0 लिपिक	1	0	1
3	अंचल निरीक्षक	1	1	0
4	लिपिक	06	04	02
5	अंचल अमीन	01	01	0
6	राजस्व कर्मचारी	12	08	04
7	अनुसेवक	04	04	0
8	संविदा सहायक		01	
9	कार्यपालक सहायक RTPS		01	
10	डाटा इंट्री ऑपरेटर		01	

अंचलाधिकारी, मखदुमपुर के द्वारा बताया गया कि प्रधान सहायक अंचल कार्यालय में पदस्थापि हैं, परन्तु प्रखण्ड कार्यालय का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। निदेश दिया गया कि श्री सुरेन्द्र चौधर प्रधान सहायक, अंचल कार्यालय, मखदुमपुर केवल अंचल कार्यालय का ही कार्य देखेंगे। प्रखण्ड विका पदाधिकारी, मखदुमपुर प्रखण्ड कार्यालय के वरीय लिपिक से प्रधान सहायक के रूप में कार्य लेंगे।

(अनुपालन : प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मखदुमपुर/ अंचलाधिकारी, मखदुमपुर

6. **सेवापुस्त** : अंचलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि अंचल कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों व सेवापुस्त संधारित एवं अद्यतन है।, विवरणी दें (अनुपालन : अंचलाधिकारी, मखदुमपुर).

7. **सैरात** :

1. बराबर मेला

वर्ष	सुरक्षित राशि	बंदोबस्ती
2008-09	801437.00	1050000.00
2009-10	1207500.00	1210000.00
2010-11	1207500.00	1207500.00
2011-12	1207500.00	1207500.00

3. सुल्तान घाट

वर्ष	सुरक्षित राशि	बंदोबस्ती
2008-09	575.00	600.00
2009-10	575.00	600.00
2010-11	-	-
2011-12	-	-

8. **अतिक्रमण** : अतिक्रमण का 15 वाद चल रहा है, जिसमें 9.09¼ एकड़ सम्मिलित हैं। अतिक्रमण की पंजी का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि उसमें केवल 10 वादों को ही अंकित किया ग है। पंजी में कॉलम को स्केल से नहीं विभाजित कर यूं ही हाथ से लिखा जा रहा है। आश्चर्य की ब है कि पंजी का प्रपत्र एक समान नहीं है किसी पेज में कुछ कॉलम है तो दूसरे में जमीन की कि कॉलम को हटा दिया गया है। निदेश दिया गया कि पंजी में कॉलमों को विभाजित कर लाईनिंग क हुए एक प्रपत्र में ऑकड़ा संधारित किया जाय। अंचलाधिकारी इसकी स्वयं समीक्षा तक संधारित करायें

संचिका संख्या XVI-1/12 सोनकी देवी, ग्राम-सरैया, मखदुमपुर की जॉच की गई। इस संचिका सरकारी जमीन में मकान बनाने का उल्लेख है। अंचलाधिकारी, मखदुमपुर को निदेश दिया गया अविलम्ब इसे अतिक्रमणमुक्त कराने की कार्रवाई करते हुए अनुपालन एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करें

(अनुपालन : अंचलाधिकारी, मखदुमपु)

9. **पूर्व का निरीक्षण :**

क्र०	पदाधिकारी का नाम	निरीक्षण तिथि	निरीक्षण टिप्पणी	अनुपालन का प्रेषण
1	श्री अजय कुमार झा, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जहानाबाद।	12.11.2005	03.12.2005	03.12.2006
2	श्री शंकर राम, अपर समाहर्ता, जहानाबाद।	18.08.2006	09.10.2006	29.12.2006
3	डॉ0 राणा अवधेश,भा.प्र.से., जिला पदाधिकारी, जहानाबाद।	06.09.2006	13.09.2006	31.10.2006
4	श्री शैलेन्द्र कुमार चौधरी, अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद।	08.03.2008	26.03.2008	22.09.2008

(5)

10. पत्राचार :

वर्ष	प्राप्त पत्रों की पंजी			निर्गत पत्रों की पंजी		
	मुख्य	साधारण	योग	मुख्य	साधारण	योग
2008	-	996	996	34	768	802
2009	-	328	328	14	430	444
2010	-	581	581	0	682	682
2011	-	773	773	35	1197	1232
2012		78			43	

अंचलाधिकारी, मखदुमपुर को निदेश दिया गया कि निर्गत पंजी एवं प्राप्त पंजी में निध कॉलमों को पूरी तरह से अंकित कराना सुनिश्चित करेंगे। पत्र को किस संचिका में रखा गया है, संबं कॉलम को सहायक के द्वारा नहीं भरा गया है। इस कारण इसकी नियमित रूप से समीक्षा किया ज आवश्यक है ताकि आवश्यकतानुसार पत्रों की खोज किये जाने पर आसानीपूर्वक उसे खोजा जा स साथ आगत पंजी में एक कॉलम में उस पत्र का उत्तर अपेक्षित है या नहीं अंकित करें। उत्तर भेजे पर उसका पत्रांक/दिनांक अंकित करें। साप्ताहिक बैठक में इसकी समीक्षा भी करें।

(अनुपालन : अंचलाधिकारी, मखदुमपु

11. भू-लगान

वर्ष	कुल मांग	वसूली	प्रतिशत
2009-10	1031355.27	968796.00	94 %
2010-11	828731.69	778381.00	94%
2011-12	1832963.33	601961.00	33%

भू-लगान में वित्तीय वर्ष 2011-12 में कुल मांग के अनुरूप वसूली की प्रतिशत अत्यंत ही क है। वित्तीय वर्ष पूर्ण होने में अब मात्र दो माह शेष हैं। निदेश दिया गया कि अविलम्ब कुल मांग अनुरूप वसूली करना सुनिश्चित करेंगे।

भू-लगान पंजी का अवलोकन करने के क्रम में पाया गया कि इसका सही तरीके से संधारण न किया गया है। जिस पंजी में इसे संधारित किया गया है, उसमें 100 मौजा में से 15 मौजा छतिया

12. दाखिल खारिज

वर्ष	प्राप्त आवेदन की संख्या	निष्पादन	लम्बि
2009-10	547	547	0
2010-11	2225	2225	0
2011-12	3317	3169	148

दाखिल खारिज के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 में कुल 148 आवेदन निष्पादित नहीं किये हैं। आर0टी0पी0एस0 के तहत कुल 591 आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिनमें से 32 आवेदन लम्बित हैं तथा आवेदनों के निष्पादन की तिथि समाप्त हो चुकी है। वर्ष 2012 में 33 आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिनमें सभी आवेदन लम्बित हैं तथा एक के निष्पादन की तिथि समाप्त हो चुकी है। दाखिल खारिज प संधारित है, परन्तु अद्यतन नहीं है। दाखिल खारिज रेकर्ड संख्या 3190/2011-12 की जाँच करने में प गया कि सभी को नोटिस निर्गत नहीं किया गया है। इसी प्रकार रेकर्ड संख्या 3155-3185/ 2011- की जाँच करने के क्रम में पाया गया कि डीमांड कायम करने का कोई प्रमाण पंजी में नहीं अभिलेख में भी नहीं है। शुद्धि-पत्र निर्गत नहीं है। यह स्थिति अत्यंत ही गम्भीर है। इससे स्पष्ट है अंचल निरीक्षक, मखदुमपुर एवं अंचलाधिकारी, मखदुमपुर के द्वारा दाखिज-खारिज के कार्यों की सम्यक पर्यवेक्षण नहीं किया जाता है। निदेश दिया गया कि सभी लम्बित दाखिल खारिज के आवेदनों की स समीक्षा कर दोषी कर्मियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह अंदर समर्पित करेंगे। ADM-अपने स्तर से Monitor करेंगे एवं अनुपालन प्रतिवेदन [illegible]

(अनुपालन : अंचलाधिकारी, मखदुमपुर/ अंचल निरीक्षक, मखदुमपु

13. भूमि-बंदोबस्ती :

लाभान्वितों की संख्या		वितरित भूमि		अयोग्य भूमि		शेष भूमि	
मालिक	आम	मालिक	आम	मालिक	आम	मालिक	आम
12.90	112	1133.74	22.06	1626.25	6576.89		

भूमि बंदोबस्ती पंजी की मांग किये जाने पर संबंधित सहायक श्री पंकज कुमार के द्वारा बत गया कि कार्यालय में भूमि बंदोबस्ती पंजी नहीं मिल रही है। अंचलाधिकारी, मखदुमपुर को निदेश दि गया कि अपने कार्यालय में भूमि बंदोबस्ती पंजी का प्रभार किसे दिया गया था तथा किनके पास इसकी समीक्षा करें? यदि प्राप्त नहीं होती है कि संबंधित दोषी कर्मी के विरूद्ध कार्रवाई कराते अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

(अनुपालन : अंचलाधिकारी, मखदुमपु

14. वेतनादि में प्राप्त आवंटन :

शीर्ष	प्राप्त आवंटन	व्यय	शेष
2029 भू-राजस्व	7936751.00	7338590.00	598161.00
2055-पुलिस	-	आवंटन पंजी कोषागार में भेजा गया है।	-

नीलाम-पत्र वाद

वर्ष	कुल वाद	निष्पादन	लम्बित
2011-12	514	0	514

नीलाम-पत्र पंजी अद्यतन नहीं है। किस-किस का वसूली हुआ है, यह संधारित नहीं किया गया है रजिस्टर 9-10 का मिलान नहीं किया गया है। रजिस्टर 10 का अवलोकन किया गया। इसमें अभी तक 754 मामले अंकित हैं। इनफोस्मेंट सरटीफीकेट को भी इसी पंजी में अंकित किया गया है। जिस-जि नीलामपत्रधारी से वसूली नहीं हुई, उसे नोटिस निर्गत करने का निदेश अंचलाधिकारी को दिया गया।

(अनुपालन : अंचलाधिकारी, मखदुमपुर

16. **कर्म पुस्तिका :-** सभी लिपिकों का कर्म पुस्तिका संधारित एवं अद्यतन है। श्री पंकज कुमार, सहायक का कर्मपुस्तिका की जाँच की गई जनवरी, 2012 से प्रारम्भ किया गया है। निदेश दिया गया कि पु साल के जो भी लम्बित मामला हैं, उसे इस साल के कर्म पुस्तिका में शामिल करें। जिला स्थापना उ समाहर्ता, जहानाबाद को निदेश दिया जाता है कि सभी कर्मियों को विहित प्रपत्र में प्रिंटेड कर्मपुस्तिव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।

(अनुपालन : जिला स्थापना उप समाहर्ता, जहानाबाद/ अंचलाधिकारी, मखदुमपुर

17. **विभिन्न पंजी :-** निम्नांकित पंजी संधारित है।

1. अनुक्रमणी पंजी
2. उपस्थिति पंजी
3. हल्का पंजी
4. आदेश पुस्तिका पंजी
5. व्यवसायिक लगान पंजी
6. न्यूनतम मजदूरी वाद पंजी
7. आवंटन पंजी शीर्षकर अलग-अलग
8. लोक सभा/ विधान सभा प्रश्नावली
9. माननीय उच्च न्यायालय पंजी
10. अंकेक्षण पंजी
11. शीर्षवार रोकड़ पंजी
12. प्रधान सहायक का नोट बुक
13. प्रभार पंजी
14. रक्षी संचिका पंजी
15. सामग्री पंजी
16. पंजियों का पंजी
17. मापी पुस्तिका पंजी
18. अग्नि पंजी

19. मुख्यमंत्री जन शिकायत पंजी

20. आयुक्त जन शिकायत पंजी

21. जिला पदाधिकारी जनता दरबार पंजी

22. अनुमंडल जन शिकायत पंजी

23. प्रखण्ड जनता दरबार पंजी

24. दाखिल खारिज पंजी

25. नीलाम पत्र पंजी

पंजियों का पंजी की जाँच करने पर पाया गया कि अंचल कार्यालय में जितने भी पंजी संधारित गये हैं, उसे पंजियों के पंजी में अंकित नहीं किये गये हैं। निदेश दिया गया कि अंचल कार्या जितने भी पंजी संधारित किये गये हैं, उसे पंजियों के पंजी में निश्चित रूप से अंकित करना सुनि करेंगे।

(अनुपालन : प्रधान सहायक, अंचल कार्यालय, मखदु

18. **रोकड़ पंजी :-** श्री शम्भु प्रसाद वर्मा, अंचल नाजीर के प्रभार में हैं। दिनांक 26.01.2012 तक र रोकड़ बही अद्यतन है। दिनांक 11.01.2012 तक रोकड़ पंजी की अद्यतन विवरणी निम्नवत है :-

क्र0	शीर्ष संख्या एवं नाम	अवशेष राशि
1	2029-भू0 राजस्व	187837.0
2	2245-सहायय	357184.3
3	स्थाई अग्रिम	200.0
4	2015-निर्वाचन	11997.6
5	एन.आर.ई.पी.	91317.5
6	2255-ग्रामीण पुलिस	37477.9
7	ब्याज	398481.2
8	3454-जनगणना	35850.0
9	2225-बाधिक अनुदान	2500.0
10	इंदिरा आवास	1144500.0
11	ग्राम पंचायत निर्वाचन	188654.8
12	सांसद कोटा	51687.0
13	[illegible]	[illegible]

रोकड़ बही के अनुसार बैंक में अवशेष राशि

1. बैंक में जमा राशि	:	1787351.78
2. अग्रिम	:	55167.67
3. अभिश्रव	:	1520050.25
4. सिंगल लौक	:	5268.40
कुल	:	3367838.10

(मो0-तेतीस लाख सड़सठ हजार आठ सौ अड़तीस रूपये दस पैसा मा

दिनांक 19.01.2012 को सभी बैंकों से अद्यतन स्टेटमेंट प्राप्त किया गया है।

- अग्रिम में 55167.67 रूपया पड़ा है। निदेश दिया गया कि जिनके-जिनके द्वारा अग्रिम लिया गया है, सभी की सूची प्राप्त कर राशि जमा करने हेतु नोटिस निर्गत करें।
- अभिश्रव में 1520050.25 रूपया है। अभिश्रव को मदवार विभाजित करें तथा जिस-जिस मद में र प्राप्त है, उसका भुगतान करें। अभिश्रव पंजी को जुलाई 2010 तक सही तरीके से संधारित किया गया उसके पश्चात इस पंजी का संधारण ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। अंचलाधिकारी इसे अद्य संधारित करायें।
- भूखमरी से बचाने के लिए अनाज उपलब्ध कराने हेतु सभी अंचलों को एक-एक लाख रूपया दिया था, उसके बारे में अंचल कार्यालय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, अंचलाधिकारी इस संबंध में कार्या में इस मद में प्राप्त राशि के व्यय के संबंध में प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत करें।
- सांसद कोटा/ विधायक कोटा मद में प्राप्त राशि को उससे क्रियान्वित होने वाले योजनाओं में नियमानु भुगतान करते हुए मद को बंद करना सुनिश्चित करेंगे। यदि राशि का भुगतान नहीं किया जाना है तो संबंधित विभाग को वापस करने की कारबाई अंचलाधिकारी करें।

(अनुपालन : अंचलाधिकारी, मखदुमप

19. R.T.P.S. Center : अंचलाधिकारी, मखदुमपुर को निदेश दिया जाता है कि लोक सेवा अधि अधिनियम के सफलतापूर्वक संचालन के लिए निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देना सुनिश्चित करेंगे।

1. R.T.P.S. Center से ही प्रमाण पत्र वितरण करने हेतु व्यवस्था करेंगे तथा इसकी एक संधारित करायेंगे।
2. प्रमाण-पत्र प्रिंटेड प्राप्त नहीं कर R.T.P.S. Center से Center Adhikkhar Software माध्यम से कम्प्यूटराईज प्रमाण-पत्र निर्गत करेंगे।
3. R.T.P.S. Center के लिए किसी कर्मी को प्रभारी बनायें।
4. प्रतिदिन प्राप्त होने वाले आवेदनों की कम्प्यूटराईज सूची निकाल कर संबंधित संचिका में संधा करायें।
5. जाति, आवासीय, आय, दाखिल-खारिज के लिए प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के संधारण लिए अलग-अलग संचिका संख्या रखा जाना है। जिसमें संचिका संख्या निश्चित रूप से अं होनी चाहिए।

6. R.T.P.S. Center में प्राप्त होने वाले आवेदन को किस पदाधिकारी को जाँच हेतु किस तिथि को दिया गया एवं किस तिथि को उनके द्वारा वापस किया गया। साथ ही किस तिथि को आवेदक को प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है, इसे स्पष्ट रूप से रजिस्टर में अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।

7. प्रतिदिन जितने आवेदन निष्पादित किये जाते हैं, उसे कम्प्यूटर में आई.टी. असिस्टेंट डिस्पोजल दिखाना सुनिश्चित करें। अंचलाधिकारी इसे सुनिश्चित करायें।

8. प्रत्येक साप्ताहिक बैठक में R.T.P.S. Center में प्राप्त होने वाले आवेदनों एवं उसके निष्पादन की स्थिति की समीक्षा एवं अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :अंचलाधिकारी, मखदुमपुर)

20. **अंचल कार्यालय में संधारित की जाने वाली सूची एवं पंजी** :– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 10/समा0/निरीक्षण (अंचल)–15(2010–106(10)रा0, दिनांक 12.05.2010 के माध्यम से दिये गये निदेश के आलोक में अंचलाधिकारी, मखदुमपुर को निदेश दिया गया कि अपने कार्यालय में निम्न सूची/पंजी का संधारण करवाना सुनिश्चित करें।

अंचलाधिकारी का हस्ताक्षरयुक्त सूची :

1- हलकावार वार्षिक मांग–वसूली विवरणी
2- अंचल कार्यालय में संधारित की गयी पंजियों की सूची
3- हलका कार्यालय में संधारित की गयी पंजियों की सूची
4- हलकावार, जमींदारीवार एवं Estateवार बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के तहत सरकार में निहित होने वाले Estate की सूची
5- बिहार खास महाल हस्तक के नियम 73 के आलोक में खास महाल (Govt. Estate) की सूची
6- समय–समय पर अंचल द्वारा सरकार को भेजे जाने वाले रिपोर्ट–रिर्टन की तालिका

अंचल कार्यालय में संधारित किये जाने वाले पंजी

1. पंजी 1-A (जमाबंदी अथवा रेंट रौल) तथा पंजी I-B (Continuous चालू खतियान या लग्गित) अथवा Laggit
2. पंजी II (Tenants Ledger अभिधारी खाता पंजी)
3. सैरात पंजी
4. मांग परिवर्तन (Aleration of Demand) की अनुक्रमण पंजी
5. पंजी VI (Remission Register)
6. पंजी VII दाखिल–खारिज पंजी
7. पंजी VIII पुर्न–बंदोबस्ती पंजी (Re-Settlement Register)
8. पंजी IX A (Register of Settiement of Waste Land) बंदोबस्ती पंजी
9. सामान्य रोकड़ पंजी एवं सहायक रोकड़ पंजियाँ
10. Remittances के चालान की पंजी
11. अंचल अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये लागान रसीद की पंजी
12. अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत किये गये लगान रसीद की पंजी
13. पंजी S (Register-S) विविध वादों से संबंधित पंजी

14. पंजी 9 नीलाम–पत्र की अधियाचनाओं की पंजी
15. पंजी 26 निरीक्षण पुस्तिका
16. पंजी 26 A आदेश पुस्तिका
17. पंजी 27 दाखिल–खारिज की आवेदन पंजी
18. पंजी 32 बी सरकार द्वारा न्यायालय की डिक्री अथवा निलामी द्वारा क्रय की गयी रैयती की पंजी
19. पंजी 61 ए पोस्ट कार्ड द्वारा निर्गत की गए चेतावनी की पंजी
20. पंजी 84 सरकारी Estate के उन्नयन हेतु किए गए कार्य की पंजी
21. पंजी 86 अग्रिम पंजी
22. पंजी 96 स्टॉक पंजी
23. कुएं, तालाब, पोखर, एवं आहर से संबंधित पंजी
24. बांध एवं सिंचाई से संबंधित पंजी
25. सड़क एवं पुल से संबंधित पंजी
26. Village Note Book /ग्राम पंजी
27. खेसरा प्लाट इंडेक्स
28. सरकार में निहित होने वाले Estate की पंजी (संक्षिप्त इतिहास सहित)
29. पुराने सरकारी Estate की पंजी उनके संक्षिप्त इतिहास सहित
30. रक्षी संचिका (महत्वपूर्ण सरकारी परिपत्रों सहित)
31. 16'' नक्शा
32. 1'' नक्शा
33. रेवेन्यु थाना नक्शा
34. भूदान पंजी
35. अतिक्रमण वादों से संबंधित पंजी
36. भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र से संबंधित पंजी
37. जाति, आय, आवासीय प्रमाण–पत्रों से संबंधित पंजी
38. भूमि की नापी से संबंधित पंजी

अंचलाधिकारी, मखदुमपुर को निदेश दिया गया कि वे अपने कार्यालय में यह जॉच कर लें कि उपरोक्त सभी पंजियों का संधारण किया गया है अथवा नहीं? यदि नहीं किया गया है तो उ अविलम्ब संधारित कर अनुपालन प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर उपलब्ध करायेंगे।

(अनुपालन : अंचलाधिकारी, मखदुमपुर

21. **ग्राम विकास शिविर :-** ग्राम विकास शिविर में अब तक कुल दाखिल खारिज एवं अन्य कार्यों क निष्पादित किये गये हैं, इसके लिए कोई पंजी का संधारण अंचल कार्यालय में नहीं किया गया है। निदे

22. **कब्रिस्तान घेराबंदी :-** प्राय: जनता दरबार में कब्रिस्तान घेराबंदी में भूमि विवाद का मामला है। निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना में संयुक्त बैठक कर कब्रिस्तान घेराबंदी की समीक्षा करें तथा जिस-जिस कब्रिस्तान में भूमि विवाद समस्या है, उसे निष्पादित करायें। साथ ही जो नये कब्रिस्तान की घेराबंदी कराया जाना है, उसके भू विवाद की जाँच कर ही संयुक्त हस्ताक्षर से प्रतिवेदन जिला मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

(अनुपालन : अंचलाधिकारी, मखदुमपु

23. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सरकारी जमीन में निर्मित मंदिरों की सूची सूचीबद्ध की गई थी तथा अ किसी भी सरकारी भूमि में मंदिर निर्माण नहीं किया जाना है, इसका अंचलाधिकारी पूर्णत अनुपाल सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : अंचलाधिकारी, मखदुमपु

24. **ईंट भट्‌ठा :-** ईंट भट्‌ठा की सूची बनाने का निदेश दिया गया था, परन्तु अब तक अंचलाधिकारी द्वारा इस सूची को पूर्ण नहीं किया गया है। इसे अविलम्ब तैयार करने का निदेश अंचलाधिकारी को दि गया।

(अनुपालन : अंचलाधिकारी, मखदुमपु

25. **न्यूनतम मजदूरी :-** इस अंचल में न्यूनतम मजदूरी का कोई भी मामला प्रकाश में नहीं है।

26. **सरकारी जमीन :-** अंचल निरीक्षक से अंचल कार्यालय के तहत कुल कितनी सरकारी जमीन उपल है, उसकी सूची मांगे जाने पर बताया गया कि इसकी सूची अंचल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है त तैयार नहीं की गई है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब इसकी सूची तैयार कर उपलब्ध करायेंगे। स्व परिवर्तन (समपरिवर्तन अधिनियम 2010) के तहत भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। निदेश दि गया कि अविलम्ब इसकी सूची तैयार कर प्रस्तुत करेंगे।

(अनुपालन : अंचलाधिकारी, मखदुमपु

27. **चौकीदार परेड :-** निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह में एक बार चौकीदारों की परेड अंचल कार्या में आयोजित करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : अंचलाधिकारी, मखदुमपु

28. **साप्ताहिक बैठक पंजी:** अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रत्येक सप्ताह में आयोजित होने व साप्ताहिक बैठक में निश्चित रूप से भाग लेकर किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा करेंगे।

(अनुपालन : अंचलाधिकारी, मखदुमपु

29. **स्टॉक पंजी :-** स्टॉक पंजी संधारित है, परन्तु अद्यतन नहीं है। निदेश दिया गया कि पंजी को अद्

महादलित भूमि बंदोबस्ती :- अंचल निरीक्षक, मखदुमपुर के द्वारा बताया गया कि धराउत ग्राम में कु 162 परिवारों को भूमि दी जानी थी, जिनमें से 158 का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है तथा शेष लिए कार्रवाई की जा रही है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब सभी का प्रस्ताव तैयार कर जिला उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : अंचल निरीक्षक, मखदुमपुर

31. **रक्षी संचिका :-** रक्षी संचिका संधारित है। रक्षी संचिका का अवलोकन किया गया। प्रधान सचि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के द्वारा अंचल कार्यालयों में संधारित किये जाने वा पंजियों के संबंध में निर्गत पत्र को संधारित नहीं किया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि र संचिका को अद्यतन नहीं किया गया है तथा महत्वपूर्ण पत्रों को इसमें संधारित नहीं किया जा रहा निदेश दिया गया कि विभाग/आयुक्त/ जिला से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण पत्रों/ मार्गदर्शिकों को संधारि करेंगे।

(अनुपालन : प्रधान सहायक, अंचल कार्यालय, मखदुमपुर

32. **प्रधान सहायक का नोट बुक :-** प्रधान सहायक का नोट बुक संधारित एवं अद्यतन है।
33. **अवकाश पंजी :-** अवकाश पंजी संधारित एवं अद्यतन है।
34. **खेसरा पंजी :-** खेसरा पंजी संधारिज करने का निदेश दिये जाने के बावजूद भी अंचल कार्यालय किसी भी हल्का का खेसरा पंजी अब तक संधारित नहीं किया गया है। अंचल निरीक्षक, मखदुमपुर इ संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों और किन परिस्थितियों के कारण खेसरा पंजी संधारि नहीं किया जा सका है। साथ ही अविलम्ब इसे तैयार करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : अंचल निरीक्षक, मखदुमपुर

35. **हल्का पंजी :-** हल्का पंजी संधारित है। अवलोकन करने के क्रम में पाया गया कि हल्का पंजी क अंचलाधिकारी के द्वारा उसके पृष्ठों को सत्यापित नहीं किया गया है। अंचल में कुल 11 हल्का है प्रत्येक हल्का में कितना रकवा है, थाना संख्या कितना है आदि संधारित नहीं किया गया है। इससे स्पष है कि हल्का पंजी को केवल संधारित कर लिया गया है, परन्तु उसमें पूर्ण विवरणी अंकित नहीं की ग है तथा अद्यतन नहीं है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब इसे अद्यतन कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : अंचलाधिकारी, मखदुमपुर/ अंचल निरीक्षक, मखदुमपुर)

36. **नापीवाद :-** नापीवाद पंजी का अवलोकन किया गया। वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 में कुल कितने मामले प्राप्त हुये, कितना का निष्पादन किया गया तथा कुल कितने लम्बित हैं का प्रतिवेदन स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं हो सका। अंचल निरीक्षक के द्वारा बताया गया कि कुल 20 मामले नापीवाद में हैं जिनमें से मात्र 03 मामले लम्बित हैं। नापीवाद पंजी में प्रत्येक मामले के सामने अंचलाधिकारी का हस्ताक्षर किया हुआ नहीं है। आदेशफलक में भी नोटिस का जिक्र नहीं किया गया है। रिकार्ड में दोनो पक्षों को किये गये नोटिस की प्रति नहीं लगाई गई है। अंचल अमीन के द्वारा नापी के लिए कितनी राशि ली जाती है, के संबंध में पूछे जाने पर अंचल निरीक्षक, मखदुमपुर के द्वारा बताया गया कि एक हजार रूपया मात्र लिया जाता है। अपर समाहर्ता, जहानाबाद को निदेश दिया गया कि अंचल अमीन के द्वारा नापी के लिए कितनी राशि निर्धारित है तथा सभी अंचलों में कितनी राशि प्राप्त की जा रही है, को

...में एक संकलित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करायेंगे। अंचलाधिकारी [illegible] अंचल कार्यालय सभी आवश्यक कागजातों को संधारित करायें तथा सभी आवश्यक कार्रवाई [illegible]

(अनुपालन : अपर समाहर्ता, जहानाबाद/ अंचलाधिकारी मखदुमपुर)

37. **अनुक्रमणी पंजी :-** अनुक्रमणी पंजी अत्यंत ही खराब स्थिति में पाई गई। प्रधान सहायक के द्वारा बताया गया कि नया अनुक्रमणी पंजी इस वर्ष खोला गया है। निदेश दिया गया कि नया अनुक्रमणी पंजी को ही प्रयोग में लाना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन : प्रधान सहायक, अंचल कार्यालय, मखदुमपुर)

38. **निष्कर्ष :-** इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जिलास्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा अंचल कार्यालयों का निरीक्षण नहीं किया जा रहा है और न ही अंचल कार्यालयों के द्वारा किये जाने वाले कार्यों का अनुश्रवण किया जा रहा है। प्रखण्ड प्रभारी के द्वारा भी साप्ताहिक बैठक में निश्चित रूप से उपस्थित रहकर कार्यों की समीक्षा आवश्यक है। जिला स्तरीय पदाधिकारी अपर समाहर्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी/ भूमि सुधार उप समाहर्ता निश्चित रूप से नियमित रूप से अंचल कार्यालयों का निरीक्षण करें तथा अंचल कार्यालय से क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा करें।

जिलाधिकारी, जहानाबाद।

ज्ञापांक 241 /गो0, जहानाबाद दिनांक 11 वीं फरवरी, 2012

प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता, जहानाबाद/ अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद/ भूमि सुधार उप समाहर्ता, जहानाबाद/ श्री विशाल आनंद, उप समाहर्ता, जहानाबाद-सह-वरीय प्रखण्ड प्रभारी, मखदुमपुर/ अंचलाधिकारी, मखदुमपुर/ अंचल निरीक्षक, मखदुमपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी, जहानाबाद।

ज्ञापांक 241 /गो0, जहानाबाद दिनांक 11 वीं फरवरी, 2012

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी, जहानाबाद।